

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2025

विषय:- कारागारों में गैर सरकारी संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम संचालन, शोधकार्य/ इण्टर्नशिप, शूटिंग/ छायांकन करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण।

विषयांकित प्रकरणों में प्रदेश की कारागारों में समय-समय पर विविध गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) द्वारा सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु, शोधकर्ताओं/ छात्रों द्वारा शोध कार्य अथवा इण्टर्नशिप हेतु तथा फिल्मकारों / मीडिया हाउस द्वारा फिल्म / डॉक्यूमेंट्री/साक्षात्कार की शूटिंग / छायांकन करने हेतु अनुमति के आवेदन कारागार मुख्यालय में प्राप्त होते हैं अथवा कारागार अधीक्षकों द्वारा अग्रसारित किये जाते हैं।


इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-680, 689, 690 एवं 693 में कतिपय व्यवस्थायें की गयी हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों से कारागार में प्रवेश व भ्रमण हेतु मार्गदर्शक निर्देश पत्र संख्या-V-11018/3/2010-PR दिनांक 24.07.2015 द्वारा निर्गत किये हैं।

कारागारों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत विषयांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के लिये एकरूप व समुचित प्रक्रिया विकसित करने हेतु दिशा-निर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया तथा आवेदन के प्रारूप निर्धारित करते हुये संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः एतदोपरान्त प्राप्त होने वाले उपर्युक्त विषयक आवेदन तदनुरूप ही व्यवहृत किये जायेंगे। संलग्न निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:

- 1-गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा कारागार में प्रवेश एवं कार्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया।
- 2-शोधकर्ता द्वारा कारागार में प्रवेश व शोध करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया।
- 3-फिल्मकार/ मीडिया हाउस द्वारा कारागार में फिल्म/ डॉक्यूमेंट्री/ साक्षात्कार/ छायांकन/ शूटिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया।



(पी0सी0 मीना)

महानिदेशक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0/ 31 /प्र0सु0अनु0-4/2025

दिनांक 26 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रभारी अपर महानिरीक्षक (प्रशि0/वि0) डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
- 2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3-प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग, कारागार मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4-विभागीय वेबसाईट पर अपलोड।
- 5-गार्ड फाईल।

(पी0एन0 पाण्डेय)

उप महानिरीक्षक(मु0),

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश।



गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा कारागार में प्रवेश एवं कार्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया

सामान्यतः किसी भी गैर-सरकारी संस्था (NGO) / कंपनी / निजी व्यक्ति को कारागार में कार्यक्रम / अभियान / शिविर/ कार्यशाला आदि के उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी परन्तु, निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति प्रदान की जा सकती है-

- (क) यदि प्रस्तावित कार्यक्रम / अभियान का उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना हो, या
- (ख) कार्यक्रम का उद्देश्य/ विषय कारागार सुधार अथवा बंदी कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित हो।

अनुमति देने के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पालन किया जाएगा:

(1) प्रस्तावित गैर सरकारी संस्था (NGO) / आगंतुक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक आवेदन पत्र संबंधित कारागार के कारागार अधीक्षक या कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, मुख्यालय उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार के अनुमोदनोपरान्त 30 दिन की अवधि की शर्त शिथिल की जा सकेगी। विदेशी संस्था/नागरिकों के मामले में यह आवेदन 60 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या V-11018/3/2010-PR दिनांक 24.07.2015 में यथाविहित)

(2) कारागार अधीक्षक प्राप्त आवेदन को तत्काल अपने अभिमत सहित परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक अपनी संस्तुति सहित आवेदन को कारागार मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे। यदि आवेदन सीधे कारागार मुख्यालय को भेजा गया है, तो मुख्यालय द्वारा अनुमति देने से पूर्व कारागार अधीक्षक की आख्या एवं परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक की संस्तुति प्राप्त की जायेगी।

(3) विदेशी संस्था/ नागरिक के मामले में अनुमति राज्य सरकार द्वारा आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau) की स्थानीय इकाई की आख्या प्राप्त करने के बाद दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से भी परामर्श कर सकती है। (गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या V-11018/3/2010-PR दिनांक 24.07.2015 में यथाविहित)

(4) प्रत्येक मामले में अनुमति प्रदान करने से पूर्व कारागार में प्रवेश हेतु संस्था द्वारा प्रस्तावित सभी व्यक्तियों के निवास एवं आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।

(5) कारागार का भ्रमण करने वाले संस्था के प्रत्येक सदस्य को संलग्न प्रारूप के अनुसार व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही संस्था की ओर से संस्था के प्रमुख अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। (प्रारूप संलग्न)

(6) भ्रमण से पूर्व आगंतुकों की सावधानीपूर्वक तलाशी की जाएगी तथा कारागार के अधिकारियों द्वारा आवश्यक सतर्कता सुनिश्चित की जाएगी। आगंतुकों द्वारा तलाशी में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। कारागार में मोबाइल फोन, कैमरा या कोई अन्य रिकार्डिंग /इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। कोई भी प्रतिबंधित वस्तु साथ ले जाना वर्जित होगा।

- (7) संस्था के आगंतुकों को अपनी संस्था द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र के साथ सरकारी पहचान-पत्र / पासपोर्ट (विदेशी नागरिकों के लिए) साथ रखना अनिवार्य होगा।
- (8) संस्था को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम का एक संक्षिप्त विवरण आवेदन पत्र में अग्रिम रूप से कारागार अधीक्षक को उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (9) आगंतुकों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके कोई भी परिजन/ मित्र सम्बन्धित कारागार में निरुद्ध नहीं हैं। यदि किसी परिचित व्यक्ति के कारागार में निरुद्ध होने की जानकारी है, तो वह ऐसे व्यक्ति से संपर्क / भेंट / साक्षात्कार नहीं करेंगे।
- (10) संस्था के सदस्य कारागार प्रशासन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
- (11) कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक बंदी को कार्यक्रम के उद्देश्य की पूरी जानकारी दी जाएगी। बंदी की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
- (12) कारागार में संस्था के कार्यक्रम के समय उपस्थित रहने हेतु कारागार अधीक्षक द्वारा एक सक्षम जेलर या उप-जेलर को नामित किया जाएगा। यदि अधीक्षक / नामित अधिकारी को यह लगे कि कार्यक्रम की कोई गतिविधि या साक्षात्कार अनुचित है, तो उसे तत्काल हस्तक्षेप करने व कार्यक्रम को रोकने/स्थगित करने का अधिकार होगा।
- (13) ऐसी वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कारागार सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो या सामाजिक / साम्प्रदायिक तनाव की संभावना हो।
- (14) प्रशासनिक अथवा सुरक्षा कारणों से अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- (15) कारागार मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना कार्यक्रम सम्बन्धित कोई प्रचार-प्रसार या सोशल मीडिया पोस्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी।

.....

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्थें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(गैर सरकारी संस्था (NGO). द्वारा कारागार में कार्यक्रम / अभियान/ कार्यशाला संचालित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. संस्था (एन.जी.ओ.) का विवरण:

- संस्था का नाम: _____
- अधिनियम जिसके अन्तर्गत संस्था पंजीकृत है: _____
- पंजीकृत पता: _____
- संपर्क व्यक्ति एवं पदनाम: _____
- मोबाइल नंबर / ईमेल: _____

2. प्रस्तावित कार्यक्रम / अभियान का विवरण:

- कार्यक्रम / अभियान का शीर्षक: _____
- उद्देश्य / प्रयोजन: _____
- लक्षित समूह (जैसे- महिला बंदी / विचाराधीन बंदी / दोषी / कारागार स्टाफ): _____
- कार्यक्रम की प्रकृति (जैसे- विधिक सहायता / शिक्षा / प्रशिक्षण / कौशल विकास / परामर्श / सांस्कृतिक / उपदेश / मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य शिविर / मानवाधिकार / पर्यावरण जागरूकता आदि): _____

- प्रस्तावित गतिविधियाँ: _____
- प्रस्तावित तिथि एवं अवधि: _____
- कारागार से अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या (बंदी / स्टाफ): _____

3. कारागार भ्रमण हेतु एन.जी.ओ. टीम का विवरण-

क्र०सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	लिंग	पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या	मोबाइल नंबर
1					
2					
3					
4					
5					

(आवश्यकता होने पर अलग से पृष्ठ संलग्न करें। प्रत्येक आगंतुक के हालिया पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ इस प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाएँ।)

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ	पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ	पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ	पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ	पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

4. प्रयुक्त होने वाले संसाधन / सामग्री का विवरण

- दृश्य श्रव्य (आडियो-विजुअल) साधन / मुद्रित सामग्री: _____
 - कारागार के अंदर लाए जाने वाले सामान (जैसे- मशीन, उपकरण आदि): _____
-
-

5. संस्था द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री का विवरण

- यदि संस्था द्वारा बंदियों को कोई सामग्री / टूलकिट / दान सामग्री दी जानी हो, तो उसका विवरण:

क्र०सं०	वितरण की जाने वाली वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई मूल्य	कुल मूल्य

आवश्यकता होने पर अलग से पृष्ठ संलग्न करें।

6. संलग्नक (अनिवार्य):

1. संस्था के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
2. संगठन की रूपरेखा (प्रोफाइल) एवं पूर्व कार्यों का विवरण
3. सभी टीम सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र एवं संस्था द्वारा निर्गत पहचान पत्र की प्रति
4. कारागार भ्रमण करने वाले सभी सदस्यों का निवास एवं आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी पुलिस सत्यापन आख्या
5. शपथ पत्र

स्थान: -----

दिनांक: -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम एवं पदनाम:

कारागार अधीक्षक द्वारा भरा जाने वाला खण्ड

1. कारागार अधीक्षक की टिप्पणियाँ एवं अनुशंसा:

2. क्या संस्था उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर 680(1) में निर्धारित मानकों को पूरा करती है ?

3. क्या संस्था का चयन उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-680(2) में उल्लिखित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया ?

-

स्थान: -----

दिनांक: -----

(कारागार अधीक्षक के हस्ताक्षर)

कारागार मुख्यालय/शासन स्तर पर भरा जाने वाला खण्ड
(विदेशी नागरिकों के मामलों में)

1. आसूचना ब्यूरो (**Intelligence Bureau**) की स्थानीय इकाई की आख्या:

2-विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से प्राप्त परामर्श यदि कोई हो-

स्थान: _____

दिनांक: _____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट

संस्था के आगंतुक सदस्य द्वारा शपथ पत्र
(नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर आवेदन के सहित प्रस्तुत किया जाना है)

मैं _____ यह शपथ करता/करती हूँ कि

- 1) मैं कारागार के सभी नियमों, विनियमों एवं कारागार प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।
- 2) कारागार भ्रमण के दौरान मैं अपने साथ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु या कोई छिपा हुआ रिकार्डिंग उपकरण नहीं ले जाऊँगा/जाऊँगी।
- 3) मेरा कारागार में निरुद्ध किसी भी बंदी से कोई पारिवारिक संबंध या पूर्व परिचय नहीं है।

(अथवा मैं निम्नलिखित बंदी/बंदियों से परिचित हूँ, परंतु अपने भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं करूँगा/करूँगी।)

(कारागार में निरुद्ध परिचित व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण) _____

- 4) मैं कारागार प्रशासन द्वारा स्वीकृत सामग्री से भिन्न कोई भी लेख, फोटोग्राफ या अन्य सामग्री मीडिया / सोशल मीडिया पर प्रकाशित या साझा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 5) यदि कारागार विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है, तो मैं संबंधित लेख / मीडिया सामग्री / सोशल मीडिया पोस्ट या उसकी किसी भी सामग्री को तत्काल प्रसार/ प्रकाशन से वापस ले लूँगा/लूँगी।
- 6) मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: -----

दिनांक: -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट

संस्था के प्रमुख अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था की ओर से शपथ पत्र
(नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर आवेदन के सहित प्रस्तुत किया जाना है)

हम, (एन.जी.ओ. का नाम), निम्नलिखित बिंदुओं के प्रति यह शपथ करते हैं और सहमति प्रकट करते हैं
कि:-

1. हम कारागार में बंदियों के कल्याण एवं सुधार के उद्देश्य से ही कार्यक्रम संचालित करेंगे, जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होगा।
2. हम कारागार प्रशासन के सभी नियमों एवं विनियमों का पूर्णतः पालन करेंगे तथा कारागार प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
3. हम बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी प्रतिबंधित वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कारागार परिसर में नहीं लाएँगे।
4. हम बिना कारागार अधीक्षक की अनुमति के कारागार परिसर के भीतर किसी बंदी या किसी क्षेत्र की रिकार्डिंग या फोटोग्राफी नहीं करेंगे।
5. हम अपने सभी टीम सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार के लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगे।
6. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम की सामग्री से किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावना को ठेस न पहुँचे।
7. हम कारागार प्रशासन द्वारा स्वीकृत सामग्री से भिन्न कोई भी लेख, फोटोग्राफ या सामग्री मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर प्रकाशित या साझा नहीं करेंगे।
8. हम कारागार या बंदियों से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे तथा उसे किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे।

स्थान: -----

दिनांक: -----

(एन.जी.ओ. के प्रमुख या अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर व मुहर सहित)

Guidelines and Standard Operating Procedure (S.O.P.) for Permission to NGOs to Conduct Programme/Campaign inside Jails

No NGO/ company/ private individual should ordinarily be allowed entry into the prison for the purposes of conducting programmes/ campaigns/ workshops etc. However, in the following circumstances, visits may be allowed if-

- (i) a particular event/ programme/ campaign is meant for the purposes of creating positive social impact, or
- (ii) the proposed work/ programme is related to prison reforms/ prisoners welfare and rehabilitation.

For granting permission, the following SOP will be followed:-

1. The concerned NGO/visitor(s) must submit an application on the prescribed proforma to the Jail Superintendent of prison concerned or the Headquarters, Prisons Administration and Reform Services, Government of Uttar Pradesh at least 30 days before the date of visit. This duration of 30 days can be relaxed on the recommendation of the Deputy Inspector General of the range. Foreigners must submit such application 60 days before. (As per the MHA Guidelines on Visiting Jails No.V-11018/3/2010-PR dated 24.07.2015).
2. The Jail Superintendent should immediately forward the application along with his report to the Range Office. Deputy Inspector General of the range shall forward the application along with recommendation to the Prison Headquarters. If an application is submitted directly to the Prison Headquarters, a report from the Jail Superintendent and recommendation of the Deputy Inspector General of the range must be sought before granting the permission.
3. In case of a foreign national, permission will be granted by the state government after consulting the local unit of Intelligence Bureau. The government may also consult Ministry of External Affairs/Foreigners Division of Ministry of Home Affairs. (As per the MHA Guidelines on Visiting Jails No.V-11018/3/2010-PR dated 24.07.2015)
4. Police verification of all persons regarding residence and criminal antecedents is necessary before granting permission in every case.
5. All members of the NGO visiting the jail shall submit an undertaking as per the attached format, individually. Additionally, an undertaking shall be submitted by the head of the N.G.O. on behalf of the organization as per the attached format.
6. Careful frisking should be done and standard due diligence must be ensured before the visitor is allowed inside the visitor area of the jail. The visitors must cooperate during the frisking. No mobiles, cameras or any other recording/electronic device shall be allowed. No prohibited articles shall be allowed.
7. The visitors of the NGO must carry a valid ID issued by the NGO as well as a government ID/Passport (in case of foreign nationals).
8. A brief overview of the programme by the NGO must be presented along with the application to the Jail Superintendent in advance for his approval.
9. The visitors must submit in undertaking that no family member/relative/friend of theirs is lodged in the jail. In case a known person is lodged in this jail, the permission to visit the jail will not include contacting/ meeting /interviewing such a person.
10. All rules of the jail administration will be strictly followed by the visitor.

11. The inmates sought to be included in the programme must be well informed about the purpose of the programme. Anonymity of each inmate must be maintained.
12. While the visitors are touring the prison or conducting the programme, the Jail Superintendent will nominate a competent jailor or deputy jailor to be present there. The Jail Superintendent/nominated officer should intervene immediately if he feels that a certain programme / activity or an interview being conducted is not desirable.
13. No videography/photography should be allowed which may create potential security risk or social/communal disturbance.
14. The permission may be withdrawn at any time for administrative and/or security reasons.
15. No publicity/social media posts shall be published without the permission of the Prison Headquarters.

Prisons Administration and Reform Services, Uttar Pradesh, Lucknow

Application Proforma For N.G.O. To Conduct Programme/ Campaign/ Workshop In Jail

1. Details of the Organisation (NGO):

- Name of the NGO: _____
- Act of Registration: _____
- Registered Address: _____
- Contact Person & Designation: _____
- Mobile No. / Email: _____

2. Details of the Proposed Programme /Campaign:

- Title of the Programme / Campaign: _____
- Objective / Purpose: _____
- Target Group (e.g., female inmates / undertrials / convicts/ staff):

- Nature of Programme (Legal Aid/ Education/ Training / Skill Development/ Counseling / Cultural / Preaching, sermons/ Mental wellbeing or Physical Health Camp/ Human Rights/ Environmental awareness, etc.): _____
- Proposed Activities: _____
- Proposed Dates & Duration: _____
- Expected No. of Participants from Jail (Inmates/Staff): _____

3. Details of NGO Team Visiting Prison

S.N.	Name of Member	Designation	Gender	ID Proof Type & No.	Mobile No.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(Attach Separate Sheet If Required. Recent passport size photographs of each visitor shall be provided with this form.)

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

4. Resources / Material to be Used

- Audio-Visual Aids / Printed Material: _____
- Any items to be brought inside the prison (e.g. machines, equipment etc.): _____

5. Distribution of materials by NGO

- Details of Materials/ Toolkits/ Charitable Items Distributed to the Inmates by the NGO, if any:

S.N.	Details of Items to be Distributed	Quantity	Unit Price	Total Value
1.				
2.				
3.				

(Attach separate sheet if required)

6. Enclosures (Mandatory):

1. Copy of NGO Registration Certificate
2. Profile of organization and past work
3. Copy of government issued IDs and employee IDs of all team members.
4. Police verification of all team members visiting the jail regarding residence and criminal antecedents
5. Undertaking

Place:

Date:

(Signature of the Applicant)

Name and Designation of Applicant

To be filled by the Jail Superintendent

1. Comments and recommendation of the Jail Superintendent _____

2. Does the NGO satisfy the criteria set out in paragraph 680 (1) of the Uttar Pradesh Jail Manual 2022? _____

3. Is the NGO selected by the committee headed by the District Magistrate as mentioned in paragraph 680 (2) of the Uttar Pradesh Jail Manual 2022? _____

Place:

Date:

(Signature of the Jail Superintendent)

To be filled at the Prison Headquarter/Government (in case of foreign nationals)

1. Report of Local unit of Intelligence Bureau _____

2. Consultation with Ministry of External Affairs/ Foreigners Division, Ministry of Home Affairs _____

Place:

Date:

(Signature of Competent Authority)

Annexure

UNDERTAKING BY MEMBER OF N.G.O.

(To be submitted on notarized stamp paper along with the application)

I undertake that:-

- a) I will abide by all prison rules, regulations, and instructions of the prison authorities.
- b) I shall not carry any prohibited articles or any hidden recording devices with me while visiting the jail.
- c) I am not related to nor have prior acquaintance with any inmate lodged in the jail.
(OR I am acquainted with the following person(s) lodged in the jail and will not attempt to make contact with them in any form during my visit.
(Details of acquaintance lodged in jail)_____
- d) I shall not release the articles/ photos or any content thereof to the media/ social media which is different than the material approved by the Prison authority.
- e) I shall withdraw from circulation the article/ media content/ social media post or any content thereof, if called upon to do so by competent officer of the Prison Department.
- f) The information furnished above is true to the best of my knowledge.

Date

Place

(Signature of the applicant)

(Name of the applicant)

Annexure

UNDERTAKING BY THE HEAD OF THE N.G.O. OR AUTHORISED PERSON ON BEHALF OF THE N.G.O.

(To be submitted on notarized stamp paper along with the application)

We, **[Name of the NGO]**, hereby undertake and agree to the following:

1. We shall conduct the programme solely for the welfare and reformation of the inmates, without any political motive.
2. We will comply fully with the rules of the jail administration and follow all instructions given by the jail authorities.
3. We will not carry any prohibited items or electronic gadgets without prior written permission.
4. We shall not record or photograph any inmate or area within the jail premises without permission from the jail superintendent.
5. We accept full responsibility for the conduct and actions of all our team members during the programme.
6. We will ensure that the content of the programme does not offend any religious, cultural, or social sentiments.
7. We shall not release the articles/ photos or any content thereof to the media/ social media which is different than the material approved by the Prison authority.
8. We shall maintain confidentiality and not disclose any personal or sensitive information related to the inmates or the jail.

Date
Place

(Signature of the Head of NGO
or authorised person along with seal)

शोधकर्ता द्वारा कारागार में प्रवेश व शोध करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं
मानक संचालन प्रक्रिया

किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः कारागार में अनुसंधान, शोध, इण्टर्नशिप, लेखन या साक्षात्कार आदि के उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, यदि-

- (i) कोई विशेष अनुसंधान/ शोध /लेखन सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से हो, या
- (ii) प्रस्तावित कार्य कारागार सुधार अथवा बंदी सुधार एवं पुनर्वास से संबंधित हो।

अनुमति देने के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (**Standard Operating Procedure**) का पालन किया जाएगा:

- (1) शोधकर्ता/शोधकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप पर एक आवेदन पत्र संबंधित कारागार अधीक्षक अथवा मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ०प्र० सरकार को कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार के अनुमोदनोपरान्त 30 दिन की अवधि की शर्त शिथिल की जा सकेगी। विदेशी नागरिकों/विदेशी संस्थानों से संबंधित शोधकर्ताओं को यह आवेदन 60 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। (गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कारागार भ्रमण संबंधी दिशा निर्देश संख्या **V-11018/3/2010-PR** दिनांक 24.07.2015 में यथा विहित)
- (2) कारागार अधीक्षक प्राप्त आवेदन को तत्काल अपने अभिमत सहित परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक अपनी संस्तुति सहित आवेदन को कारागार मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे। यदि आवेदन सीधे कारागार मुख्यालय को भेजा गया है, तो मुख्यालय द्वारा अनुमति देने से पूर्व कारागार अधीक्षक की आख्या एवं परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक की संस्तुति प्राप्त की जायेगी।
- (3) यदि शोधकर्ता विदेशी नागरिक है, तो अनुमति राज्य सरकार द्वारा आसूचना ब्यूरो (**Intelligence Bureau**) की स्थानीय इकाई से परामर्श के बाद दी जाएगी। प्रकरण में सरकार विदेश मंत्रालय/ गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से भी परामर्श कर सकती है। (गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश संख्या **V-11018/3/2010-PR** दिनांक 24.07.2015 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार)
- (4) प्रत्येक मामले में, अनुमति देने से पूर्व संबंधित व्यक्ति के निवास और आपराधिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी पुलिस सत्यापन आवश्यक है।
- (5) आगंतुक शोधकर्ता को आवेदन के साथ एक शपथपत्र देना होगा (प्रारूप संलग्न)।
- (6) शोधकर्ता को शपथपत्र में यह उल्लेख भी करना होगा कि उनके कोई भी पारिवारिक सदस्य/रिश्तेदार/मित्र इस कारागार में निरुद्ध नहीं हैं। यदि कोई परिचित व्यक्ति इस कारागार में निरुद्ध है, तो वह उस व्यक्ति से संपर्क/मुलाकात/साक्षात्कार नहीं कर सकेगा।
- (7) शोधकर्ता द्वारा शोध सम्बन्धी प्रश्नावली/डेटा प्रारूप को पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन के साथ कारागार अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
- (8) शोधकर्ता को कारागार में प्रवेश से पूर्व सावधानी पूर्वक तलाशी और मानक सतर्कता प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आगंतुक द्वारा तलाशी में पूर्ण सहयोग किया जायेगा। मोबाइल, कैमरा या कोई भी रिकार्डिंग/ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी निषिद्ध वस्तु अंदर नहीं ले जायी जायेगी।

- (9) शोधकर्ता को संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र तथा सरकारी पहचान पत्र/ पासपोर्ट (विदेशी नागरिकों के मामले में) साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (10) शोधकर्ता को कारागार प्रशासन के सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा।
- (11) जिस बंदी से साक्षात्कार लिया जाना है, उसे शोध के उद्देश्य की पूरी जानकारी दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह साक्षात्कार देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो। बंदी की गोपनीयता हर दशा में बनायी रखी जाएगी।
- (12) आगंतुक द्वारा कारागार परिसर का भ्रमण करते समय या बंदियों से साक्षात्कार करते समय कारागार अधीक्षक द्वारा एक सक्षम जेलर या उप-जेलर को वहाँ उपस्थित रहने के लिए नामित किया जायेगा। यदि अधीक्षक/नामित अधिकारी को लगे कि कोई वीडियो क्लिप या साक्षात्कार अनुचित है, तो वे तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- (13) ऐसी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कारागार सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या सामाजिक/सांप्रदायिक अशांति का कारण बन सकती है।
- (14) प्रशासनिक और/या सुरक्षा कारणों से अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- (15) कारागार मुख्यालय की अनुमति के बिना कारागार भ्रमण सम्बन्धी कोई प्रचार प्रसार या सोशल मीडिया पोस्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी।
- (16) शोधकर्ता को अपने शोध कार्य की अंतिम रूप से तैयार प्रति कारागार अधीक्षक तथा कारागार मुख्यालय को प्रकाशित करने से पहले “अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)” प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना प्रकाशन की दशा में शोधकर्ता के विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (17) संबंधित कारागार अधीक्षक शोध सामग्री का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी और अनुशंसा देंगे कि उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है जो कारागार विभाग की छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। कारागार मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित कारागार अधीक्षक की अनुशंसा के बाद ही जारी किया जायेगा।
-

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

शोधकर्ता हेतु कारागार भ्रमण /शोध / इण्टर्नशिप अनुमति का प्रारूप

आवेदक द्वारा प्रस्तावित कारागार भ्रमण की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व (विदेशी नागरिकों के लिये 60 दिन पूर्व) कारागार अधीक्षक अथवा कारागार मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।

1- व्यक्तिगत विवरण

- पूरा नाम: _____
- जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष): _____
- लिंग: _____
- राष्ट्रीयता: _____
- संपर्क नंबर: _____
- ईमेल आईडी: _____
- स्थायी पता: _____

पासपोर्ट आकार की
फोटोग्राफ

वर्तमान पता (यदि भिन्न हो): _____

2. शैक्षणिक विवरण

- विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम व पता: _____
- विभाग/विषय: _____
- पाठ्यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम: _____
- अनुक्रमांक/रोल नम्बर: _____
- पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक का नाम: _____
- पर्यवेक्षक का सम्पर्क विवरण: _____

3. अनुसंधान/शोध का विवरण-

- शोध का विषय: _____
- शोध का सामान्य क्षेत्र: _____
- शोध के उद्देश्य: _____
- कार्यप्रणाली (जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, डेटा शीट आदि): _____
- कारागार भ्रमण का उद्देश्य (जैसे डेटा संग्रह, साक्षात्कार, दस्तावेजी प्रमाण आदि): _____

• अध्ययन की प्रस्तावित अवधि: _____

- भ्रमण हेतु अनुरोधित कारागार का नाम/नाम: _____
- प्रस्तावित कारागार भ्रमण की तिथियां: _____

4. संलग्नक-

- संस्थान के प्रधानाचार्य का अनुशंसा पत्र
- निवास एवं आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट

- शपथ पत्र (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार)
- अपेक्षित प्रश्नावली/ डेटा प्रारूप की प्रति
- सरकारी पहचान पत्र एवं संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र की छायाप्रति (विदेशी नागरिकों के मामले में पासपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

स्थान: _____

दिनांक: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कारागार अधीक्षक द्वारा भरा जाने वाला खण्ड

1-कारागार अधीक्षक की टिप्पणियां एवं अनुशंसा:

2-क्या प्रश्नावली/डेटा संग्रह प्रारूप को कारागार अधीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है ?

स्थान: _____

दिनांक: _____

(कारागार अधीक्षक के हस्ताक्षर)

कारागार मुख्यालय/शासन स्तर पर भरा जाने वाला खण्ड
(विदेशी नागरिकों के मामलों में)

1.आसूचना ब्यूरो (**Intelligence Bureau**) की स्थानीय इकाई की आख्या:

2-विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से प्राप्त परामर्श यदि कोई हो-

स्थान: _____

दिनांक: _____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट

शपथ पत्र (UNDERTAKING)

(नोटरीज्ड स्टैम्प पेपर पर आवेदन के सहित प्रस्तुत किया जाना है)

मैं यह शपथ करता/करती हूँ कि-

1) मेरा शोध कार्य केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

2) मैं कारागार के सभी नियमों, विनियमों तथा कारागार प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।

3) कारागार भ्रमण के दौरान मैं अपने साथ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु या गुप्त रिकार्डिंग उपकरण नहीं ले जाऊँगा/जाऊँगी।

4) मेरा कारागार में निरूद्ध किसी भी बंदी से कोई पारिवारिक संबंध या पूर्व परिचय नहीं है।

(अथवा, मैं कारागार में निरूद्ध निम्नलिखित बंदी/बंदियों से परिचित हूँ, परंतु मैं अपने भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं करूँगा/करूँगी।)

(कारागार में निरूद्ध परिचित व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण)_____

5) मैं कारागार में निरूद्ध बंदियों की पहचान को पूर्णतः गोपनीय रखूँगा/रखूँगी।

6) मैं अपना कोई भी शोध पत्र/लेख/पुस्तक तब तक प्रकाशित नहीं करूँगा/करूँगी जब तक मुझे कारागार प्रशासन से “अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)” प्राप्त नहीं हो जाता, तथा मैं केवल अनुमोदित एवं प्रमाणित सामग्री ही प्रकाशित करूँगा/करूँगी। उल्लंघन की दशा में मैं कारागार विभाग द्वारा उचित विधि कार्यवाही का पात्र होऊँगा।

7) मैं कारागार मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी शोध पत्र/ लेख/ पुस्तक या उसकी किसी भी सामग्री को मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर प्रकाशित या साझा नहीं करूँगा/करूँगी।

8) यदि कारागार विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी आपत्तिजनक अंश के बारे में निर्देश दिया जाता है, तो मैं उक्त शोध पत्र/ लेख /पुस्तक या उसकी किसी भी सामग्री को तत्काल प्रसार/प्रकाशन से वापस ले लूँगा/लूँगी।

9) उपर्युक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(हस्ताक्षर)

Guidelines and Standard Operating Procedure (S.O.P.) for visit inside jails by Research Scholars

No private individual should ordinarily be allowed entry into the prison for the purposes of doing research, internship, writing articles or interviews etc. However, in the following circumstances, visits may be allowed if-

- (i) a particular research/ internship / article is meant for the purposes of creating positive social impact, or
- (ii) the proposed work is related to prison reforms or prisoner reform and rehabilitation.

For granting permission, the following Standard Operating Procedure (S.O.P.) will be followed:-

1. The researcher(s) must submit an application on the prescribed proforma to the Jail Superintendent of prison concerned or the Headquarters, Prisons Administration and Reform Services, Government of Uttar Pradesh at least 30 days before the proposed tentative date of visit. This duration of 30 days can be relaxed on the recommendation of the Deputy Inspector General of the range. Foreigners/researchers related to foreign institutes must submit such application 60 days before the tentative date of visit (As per the MHA Guidelines on Visiting Jails No.V-11018/3/2010-PR dated 24.07.2015).
2. The Jail Superintendent should immediately forward the application along with his report to the Range Office. Deputy Inspector General of the range shall forward the application along with recommendation to the Prison Headquarters. If an application is submitted directly to the Prison Headquarters, a report from the Jail Superintendent and recommendation of the Deputy Inspector General of the range must be sought before granting the permission.
3. In case of a foreign national, permission will be granted by the state government after consulting the local unit of Intelligence Bureau. The government may also consult Ministry of External Affairs/Foreigners Division of Ministry of Home Affairs. (As per the MHA Guidelines on Visiting Jails No.V-11018/3/2010-PR dated 24.07.2015)
4. Police verification of such a person regarding residence and criminal antecedents is necessary before granting permission in every case.
5. The visitor shall submit an undertaking as per the attached format.
6. The research scholar must submit in undertaking that no family members/relatives/friends of theirs is lodged in the jail. In case a known person is lodged in this jail, the permission will not include contacting/ meeting /interviewing such a person.
7. The questionnaire/data collection format must be presented by the research scholar to the Jail Superintendent in advance for his approval along with the application.
8. Careful frisking should be done and standard due diligence must be ensured before the visitor is allowed inside the visitor area of the jail. The visitor must cooperate during frisking. No mobiles, cameras or any other recording/electronic device shall be allowed. No prohibited articles shall be allowed.
9. The research scholar must carry a valid ID proof issued by the Institute/University as well as a government ID/Passport (in case of foreign nationals).
10. All rules of the jail administration will be strictly followed by the research scholar.

11. The inmate sought to be interviewed must be well informed about the purpose of the research and be willing to be interviewed. Anonymity of the inmate must be maintained.
12. While the visitor(s) are touring the prison or interviewing the inmates, the Jail Superintendent will nominate a competent jailor or deputy jailor to be present there. The Jail Superintendent/nominated officer should immediately intervene on-the-spot if he feels that a certain video clip or an interview being conducted is not desirable or inappropriate.
13. No videography/photography should be allowed which may create potential security risk or social/communal disturbance.
14. The permission may be withdrawn at any time for administrative and/or security reasons.
15. No publicity/social media posts shall be published without the permission of the Prison Headquarters.
16. The research scholar must submit a final copy of the finished research work to the Jail Superintendent and Prisons Headquarter for a "No Objection Certificate" before publishing. The researcher shall be liable to appropriate legal action in case of publication before obtaining the No Objection Certificate.
17. Superintendent concerned will give comments and recommendation after study of the research content as to there is no objectionable content which reflects adversely on the prison department's image. Prisons Headquarter will issue NOC only after such recommendation of the Jail Superintendent.

**Prisons Administration and Reform Services,
Uttar Pradesh, Lucknow**


Proforma for Research/ Internship – Prison Visit Permission

To be filled by Applicant and forwarded through proper channel at least 30 days before (60 days in case of foreign nationals) the expected date of jail visit.

1. Personal Details

- Full Name: _____
- Date of Birth (dd/mm/yyyy): _____
- Gender: _____
- Nationality: _____
- Contact Number: _____
- Email ID: _____
- Permanent Address: _____

- Current Address (if different): _____



2. Academic Details

- Name and Address of University / Institution: _____

- Department / Discipline: _____
- Course / Program of Study: _____
- Enrolment / Roll Number: _____
- Name of Supervisor / Guide: _____
- Contact details of Supervisor: _____

3. Research Project Details

- Title of Research: _____

- Broad Subject / Area of Research: _____

- Objectives of Research: _____
- Methodology (including tools such as questionnaire, interviews, observation datasheet etc.): _____

- Purpose of Prison Visit (e.g., data collection, interviews, observation, documentary evidence, etc.): _____
- Proposed Duration of Study: _____
- Name of Jail(s) requested to be visited: _____
- Tentative Dates of Jail Visit: _____

4. Annexures

- Recommendation letter from Head of Institution
- Police Verification regarding residence and criminal antecedents.
- Undertaking (proforma attached)
- Copy of questionnaire/ format of desired data
- Photocopy of government ID and institute ID (In case of foreign nationals, photocopy of passport).

Place:

Date:

(Signature of the Applicant)

To be filled by the Jail Superintendent

1. Comments and Recommendation of the Jail Superintendent _____

2. Whether questionnaire/ data collection format is approved by the Jail Superintendent _____

Place:

Date:

(Signature of the Jail Superintendent)

To be filled at the Prison Headquarter/Government (in case of foreign nationals)

1. Report of Local unit of Intelligence Bureau _____

2. Consultation with Ministry of External Affairs/ Foreigners Division, Ministry of Home Affairs _____

Place:

Date:

(Signature of Competent Authority)

Annexure

UNDERTAKING

(To be submitted on notarized stamp paper along with the application)

I undertake that:-

1. The research work shall be used strictly for academic purposes only.
2. I will abide by all prison rules, regulations, and instructions of the prison authorities.
3. I shall not carry any prohibited articles or any hidden recording devices with me while visiting the jail.
4. I am not related to nor have prior acquaintance with any inmate lodged in the jail.
(OR I am acquainted with the following person(s) lodged in the jail and will not attempt to make contact with them in any form during my visit.
----- (Details of acquaintance lodged in jail)
5. I will strictly maintain the anonymity of the prison inmates.
6. I will not publish the research paper(s)/article(s)/ book(s) without receiving the “No Objection Certificate” from Headquarter, Prison Administration and Reform Services, Government of Uttar Pradesh and shall publish the vetted and approved material only. In case of violation. I shall be liable to appropriate legal action by the Prisons department.
7. I shall not release the articles/ papers/ books or any content thereof to the media/ social media without the permission of the prison headquarters.
8. I shall withdraw from circulation the article/ paper/ book or any content thereof, if called upon to do so by the authorized officer of the Prison Department.
9. The information furnished above is true to the best of my knowledge.

Date
Place

(Signature of the applicant)

(Name of the Applicant)

फिल्मकार/ मीडिया हाउस द्वारा कारागार में फिल्म/ डॉक्यूमेंट्री /साक्षात्कार के छायांकन/शूटिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया

किसी भी फिल्म निर्माण संस्था को सामान्यतः कारागार में शूटिंग/रिकार्डिंग/साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, परन्तु निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में शासन द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

(i) यदि कोई विशेष फिल्म/डॉक्यूमेंट्री सकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से हो, या

(ii) प्रस्तावित फिल्म/डॉक्यूमेंट्री कारागार सुधार या बन्दी कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित हो।

अनुमति देने के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (**Standard Operating Procedure**) का पालन किया जाएगा:

1. निर्माता/प्रोडक्शन संस्था/मीडिया हाउस द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित कारागार अधीक्षक अथवा मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्थें, 30 प्र 0 को कम से कम 60 दिन पूर्व प्रेषित किया जाएगा। महानिदेशक कारागार के अनुमोदनोपरान्त 30 दिन की अवधि की शर्त शिथिल की जा सकेगी। विदेशी संस्था के मामले में आवेदन पत्र कम से कम 90 दिन पूर्व प्रेषित किया जायेगा।
2. आवेदन के साथ कथा/कॉन्सेप्ट नोट (संप्रत्यय टिप्पणी), उद्देश्य, कारागार में शूटिंग के दृश्यों का विवरण, प्रस्तावित शूटिंग हेतु वांछित कारागार क्षेत्र का विवरण, साक्षात्कारकर्ता का विवरण संलग्न होंगे।
3. फिल्म निर्माता/ प्रोडक्शन हाउस के पूर्व कार्य का विवरण, मान्यता, रजिस्ट्रेशन आदि की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।
4. फिल्म निर्माता/ प्रोडक्शन हाउस को आवेदन के समय कारागार अधीक्षक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से रु0 2.00 लाख मात्र (रूपया दो लाख मात्र) की वापसी योग्य सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी।
5. कारागार अधीक्षक प्राप्त आवेदन को तत्काल अपने अभिमत सहित परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक अपनी संस्तुति सहित आवेदन को कारागार मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे। यदि आवेदन सीधे कारागार मुख्यालय को भेजा गया है, तो मुख्यालय द्वारा अनुमति देने से पूर्व कारागार अधीक्षक की आख्या एवं परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक की संस्तुति प्राप्त की जायेगी।
6. यदि फिल्म/डाक्यूमेण्ट्री निर्माता विदेशी नागरिक है, तो अनुमति राज्य सरकार द्वारा आसूचना ब्यूरो (**Intelligence Bureau**) की स्थानीय इकाई से परामर्श के बाद दी जाएगी। प्रकरण में सरकार विदेश मंत्रालय/ गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से भी परामर्श कर सकती है। (गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश संख्या **V-11018/3/2010-PR** दिनांक 24.07.2015 दिनांक 24.07.2015 में यथाविहित)
7. प्रत्येक मामले में, अनुमति देने से पूर्व संबंधित व्यक्ति के निवास और आपराधिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी पुलिस सत्यापन आवश्यक है।
8. आगंतुकों को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई भी परिजन/ रिश्तेदार/ मित्र सम्बन्धित कारागार में निरुद्ध नहीं हैं। यदि किसी परिचित व्यक्ति के कारागार में निरुद्ध होने की जानकारी है, तो वह ऐसे व्यक्ति से संपर्क / भेंट / साक्षात्कार नहीं करेंगे।

9. कारागार अधीक्षक द्वारा फिल्म शूटिंग से कारागार की सुरक्षा एवं प्रशासन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने के संबंध में आख्या सहित, प्राप्त आवेदन को तत्काल कारागार मुख्यालय को अग्रेषित किया जायेगा। यदि आवेदन सीधे कारागार मुख्यालय को भेजा गया है, तो मुख्यालय द्वारा आवेदन शासन को प्रेषित करने से पूर्व कारागार अधीक्षक से आख्या प्राप्त की जायेगी।
10. कारागार अधीक्षक की आख्या सहित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त आवेदन कारागार मुख्यालय द्वारा निर्णय हेतु शासन को अग्रेषित किया जायेगा।
11. शासन से अनुमति प्राप्त होने की दशा में फिल्म/ डाक्यूमेण्ट्री निर्माता एवं समस्त दल को कारागार में प्रवेश से पूर्व सावधानी पूर्वक तलाशी और मानक सतर्कता प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आगंतुक द्वारा तलाशी में पूर्ण सहयोग किया जायेगा। कारागार के भीतर केवल वही रिकार्डिंग उपकरण ले जाये जायेंगे जिनकी अनुमति दी गयी है। सभी उपकरणों का प्रवेश के पूर्व कारागार अधिकारी द्वारा परीक्षण और सूचीकरण अनिवार्य होगा।
12. समस्त आगंतुकों को वह सरकारी पहचान पत्र/पासपोर्ट (विदेशी नागरिकों के मामले में) साथ लाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति आवेदन पत्र में संलग्न है।
13. समस्त आगंतुकों को कारागार प्रशासन के सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा।
14. यदि फिल्म/ डाक्यूमेण्ट्री निर्माण हेतु किसी बंदी का साक्षात्कार लिया जाना है तो उसे इसके उद्देश्य की पूरी जानकारी दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह साक्षात्कार देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो तथा इस हेतु बंदी से लिखित घोषणा ली जायेगी। बंदी की गोपनीयता हर दशा में बनायी रखी जाएगी।
15. कारागार अधीक्षक द्वारा कारागार परिसर में फिल्म शूटिंग के समय या बंदियों से साक्षात्कार के समय एक सक्षम जेलर या उप जेलर को वहाँ उपस्थित रहने के लिए नामित किया जायेगा। यदि अधीक्षक/ नामित अधिकारी को लगे कि कोई वीडियो क्लिप या साक्षात्कार अनुचित है, तो वे तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं।
16. ऐसी फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कारागार सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या सामाजिक/सांप्रदायिक अशांति का कारण बन सकती है।
17. प्रशासनिक / सुरक्षा कारणों अथवा कारागार नियमों, सुरक्षा निर्देशों के उल्लंघन की दशा में अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
18. कारागार परिसर में प्रतिदिन शूटिंग के उपरान्त समस्त रिकार्डिंग कारागार अधीक्षक को अवलोकित करायी जायेगी।
19. फिल्म/डाक्यूमेण्ट्री की अंतिम रूप से तैयार प्रति कारागार अधीक्षक तथा कारागार मुख्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
20. संबंधित कारागार अधीक्षक फिल्म/डाक्यूमेण्ट्री सामग्री का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी और अनुशंसा देंगे कि उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है जो कारागार विभाग की छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। कारागार मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित कारागार अधीक्षक की अनुशंसा के बाद ही जारी किया जायेगा।
21. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माता द्वारा फिल्म/डाक्यूमेण्ट्री के प्रदर्शन की अग्रिम प्रक्रिया की जायेगी। आवेदन के साथ जमा सुरक्षा धनराशि (रु० दो लाख मात्र) अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही वापस की जायेगी।

.....

परिशिष्ट

कारागार परिसर में फिल्म/ डाक्यूमेंट्री/साक्षात्कार शूटिंग हेतु आवेदन का प्रपत्र

1. संस्था/प्रोडक्शन हाउस का नाम: _____
2. पंजीकरण संख्या व जारीकर्ता प्राधिकरण/प्राधिकारी: _____
3. फिल्म/डाक्यूमेंट्री का शीर्षक: _____
4. उद्देश्य/थीम का संक्षिप्त विवरण (अलग शीट संलग्न की जा सकती है):

5. कारागार का नाम जिसमें शूटिंग/ छायांकन प्रस्तावित है: _____
6. शूटिंग हेतु प्रस्तावित तिथि एवं अवधि: _____
7. कारागार परिसर में शूटिंग होने वाले दृश्यों का विवरण (अलग शीट संलग्न की जा सकती है):

8. कारागार परिसर में शूटिंग के लिये वांछित क्षेत्रों का विवरण (जैसे मुख्य द्वार, बैरक आदि):

9. डाक्यूमेंट्री हेतु क्या किसी बंदी/स्टाफ का साक्षात्कार प्रस्तावित है ? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें:

10. फिल्म शूटिंग दल के सदस्यों का विवरण:

क्र०सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	लिंग	पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या	मोबाइल नंबर
1					
2					
3					
4					
5					

(आवश्यकता होने पर अलग से पृष्ठ संलग्न करें। प्रत्येक आगंतुक के हालिया पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ इस प्रपत्र के संलग्न किए जाएँ।)

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

11. उपकरणों की सूची (आवश्यकता होने पर अलग से पृष्ठ संलग्न करें):

12. संपर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर: _____

घोषणा: उपरोक्त विवरण सत्य है तथा मैं/हम कारागार प्रशासन के सभी नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे।

स्थान: _____

दिनांक: _____

प्रोडक्शन हाउस के सक्षम अधिकारी का
हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर

परिशिष्ट

फिल्म दल के प्रत्येक आगंतुक सदस्य द्वारा शपथ पत्र

(नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर आवेदन के सहित प्रस्तुत किया जाना है)

मैं _____ यह शपथ करता/करती हूँ कि

- 1) मैं कारागार के सभी नियमों, विनियमों एवं कारागार प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।
- 2) कारागार भ्रमण के दौरान मैं अपने साथ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु या कोई छिपा हुआ रिकार्डिंग उपकरण नहीं ले जाऊँगा/जाऊँगी।
- 3) मेरा कारागार में निरुद्ध किसी भी बंदी से कोई पारिवारिक संबंध या पूर्व परिचय नहीं है।
(अथवा मैं निम्नलिखित बंदी/बंदियों से परिचित हूँ, परंतु अपने भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं करूँगा/करूँगी।)

(कारागार में निरुद्ध परिचित व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण)

- 4) मैं कारागार प्रशासन द्वारा स्वीकृत सामग्री से भिन्न कोई भी लेख, फोटोग्राफ या अन्य सामग्री मीडिया / सोशल मीडिया पर प्रकाशित या साझा नहीं करूँगा/करूँगी।
- 5) यदि कारागार विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है, तो मैं संबंधित लेख / मीडिया सामग्री / सोशल मीडिया पोस्ट या उसकी किसी भी सामग्री को तत्काल प्रसार/ प्रकाशन से वापस ले लूँगा/लूँगी।
- 6) मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: -----

दिनांक: -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट

प्रोडक्शन हाउस द्वारा शपथ पत्र (Undertaking)

फिल्म दल के प्रत्येक आगंतुक सदस्य द्वारा शपथ पत्र
(नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर आवेदन के सहित प्रस्तुत किया जाना है)

मैं/हम _____ (संस्था/निर्माता) यह शपथ करता हूँ/करते हैं कि —

1. शूटिंग/रिकार्डिंग केवल उन्हीं स्थानों पर करेंगे जिनकी लिखित अनुमति प्राप्त होगी।
2. बिना पूर्व स्वीकृति के किसी बंदी/कैदी/कारागार स्टाफ की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी।
3. रिकार्ड की गई सामग्री में कोई भ्रामक, असत्य, अपमानजनक या उत्तेजक प्रस्तुति नहीं की जाएगी।
4. अंतिम सामग्री प्रसारण/प्रकाशन से पूर्व कारागार मुख्यालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी।
5. किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर अनुमति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे/हमारी संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है — जिसे मैं/हम स्वीकार करते हैं।

स्थान: _____

दिनांक: _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम: _____

मोहर: _____

Guidelines for Permission to Production House/Media House to shoot Film/documentary inside Jails

No producer/ production house/ media house should ordinarily be allowed entry into the prison for the purposes of shooting/ recording/ interview etc. However, in the following circumstances, visits may be allowed by the state government if-

- (i) a particular film/documentary is meant for the purposes of creating positive social impact, or
- (ii) the proposed film/documentary is related to prison reforms/ prisoners' welfare and rehabilitation.

For granting permission, the following SOP will be followed:-

1. The concerned production house/producer(s) must submit an application on the prescribed proforma to the Jail Superintendent of prison concerned or the Headquarters, Prisons Administration and Reform Services, Government of Uttar Pradesh at least 60 days before the date of visit. This duration of 60 days can be relaxed on the recommendation of the Director General of Prisons. Foreign based production house/foreigners must submit such application 90 days before.
2. A brief description of the concept note/story, objective, scenes to be shot in the jail, desired areas of the jail in which shooting is proposed, interviewees must be attached along with the application.
3. A copy of the previous work, registration, accreditation of the film producer/ production house must be attached along with the application.
4. The film producer/ production house must submit a refundable security deposit of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakh only) by way of a demand draft in favour of the Jail Superintendent of the jail concerned.
5. The Jail Superintendent should immediately forward the application along with his report to the Range Office. Deputy Inspector General of the range shall forward the application along with recommendation to the Prison Headquarters. If an application is submitted directly to the Prison Headquarters, a report from the Jail Superintendent and recommendation of the Deputy Inspector General of the range must be sought before granting the permission.
6. In case of a foreign based production house/ foreign national, permission will be granted by the state government after consulting the local unit of Intelligence Bureau. The government may also consult Ministry of External Affairs/Foreigners Division of Ministry of Home Affairs. (As per the MHA Guidelines on Visiting Jails No.V-11018/3/2010-PR dated 24.07.2015)
7. Police verification of all visitors regarding residence and criminal antecedents is necessary before granting permission in every case.
8. The visitors must submit in undertaking that no family member/relative/friend of theirs is lodged in the jail. In case a known person is lodged in this jail, the permission to visit the jail will not include contacting/ meeting /interviewing such a person.
9. The Jail Superintendent should immediately forward the application to the Prison Headquarters along with his report regarding the proposed shoot and its effect on the jail's security and administration. If an application is submitted directly to the Prison Headquarters, a report from the Jail Superintendent must be sought before forwarding the application to the state government.

10. After examination of the documents, the application along with the Jail Superintendent's report must be forwarded to the Prisons Headquarter to the State Government for decision.
11. After the permission is granted, careful frisking should be done and standard due diligence must be ensured before the visitors are allowed inside the specifically allowed areas of the jail. The visitors must cooperate during the frisking. Only those recording equipment shall be allowed inside the jail, for which permission has been granted. All such equipment shall be examined and listed by the jail officials.
12. The visitors must carry the government ID (in original)/Passport (in case of foreign nationals) whose copy has been attached in the application.
13. All rules of the jail administration will be strictly followed by the visitor.
14. In case any inmate is sought to be included in the film/ documentary, he/ she must be well informed about the purpose of the film and be willing to be included and a written declaration regarding this must be obtained. Anonymity of each inmate must be maintained.
15. While the visitors are shooting inside the jail, the Jail Superintendent will nominate a competent jailor or deputy jailor to be present there. The Jail Superintendent/ nominated officer should intervene immediately if he feels that a certain shoot/ activity or an interview being conducted is not desirable.
16. No videography/photography should be allowed which may create potential security risk or social/communal disturbance.
17. The permission may be withdrawn at any time for administrative/ security reasons or jail rules or security directives.
18. After the shoot every day, complete recording shall be handed over to the Jail Superintendent for viewing and examination.
19. A final copy of the finished film/documentary shall be submitted to the Jail Superintendent and Prisons Headquarter for a "No Objection Certificate" before release.
20. The Jail Superintendent concerned will give comments and recommendation after viewing of the film as to there is no objectionable content which reflects adversely on the prison department's image. Prisons Headquarter will issue NOC only after such recommendation of the Jail Superintendent.
21. The film producer shall go ahead with further process of release of the film/documentary only after obtaining the No Objection Certificate. The security deposit of Rs. Two lakh only, submitted along with the application shall be refunded with the No Objection Certificate.

ANNEXURE

Application Form for Film / Documentary / Interview Shooting Inside Jail

1. **Name of the Organisation / Production House:**

2. **Registration Number and Name of Issuing Authority:**

3. **Title of the Film / Documentary:** _____

4. **Objective / Brief Summary of the Film** (*A separate sheet may be attached*)

5. **Name of the Jail where shooting is proposed:**

6. **Proposed Date and Duration of Shooting:**

7. **Description of the Scenes proposed to be shot in the Jail**

(*A separate sheet may be attached*)

8. **Details of the specific areas in the Jail proposed to be used for shooting**

(*e.g., Main Gate, Barracks, etc.*):

9. **Whether any prisoner / staff interview or interaction is proposed?**

Yes / No

If **Yes**, please provide details:

10. Details of Film Shooting Team Members:

S.No.	Name	Designation/ Role	ID Proof Type & Number	Mobile Number
1				
2				
3				
4				
5				

(If required, attach additional sheet. Passport size photograph of each team member shall be attached.)

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

Paste
Passport size
photograph.

11. List of equipment *(Attach separate sheet if required):*

12. Name and Mobile Number of Contact Person:

Declaration:

I / We declare that the above information is true and correct and I / We shall fully abide by all rules of the Jail Administration.

Place: _____

Date: _____

**Signature, Name and Seal of
Authorised Officer of Production House**

ANNEXURE

Undertaking to be submitted by Each Visiting Member of the Film Shooting Team (To be submitted on notarized stamp paper along with the application)

I, _____, hereby undertake that:

1. I shall fully comply with all the rules and regulations of the Jail Administration and all instructions issued by Jail authorities.
2. During my visit inside the Jail, I shall not carry or take any prohibited article or contraband inside the premises.
3. I do not have any family relationship or prior acquaintance/ association with any inmate of the Jail.

(Or, I am acquainted with the following inmate(s), however I shall make no attempt to contact them during shooting.)

Details of such inmate(s), if any:

-
4. I shall not record, photograph or otherwise capture any material other than what has been permitted by Jail authorities.
 5. If directed by Jail authorities, I shall immediately return / delete / hand over any material recorded / photographed / stored.
 6. All information provided by me above is true and correct to the best of my knowledge.

Place: _____

Date: _____

Signature of Applicant

Name of Applicant

ANNEXURE

Undertaking by Production House/ Producer (To be submitted on notarized stamp paper along with the application)

I / We _____ (Organisation / Producer) hereby undertake that:

1. Recording / shooting will only be done in authorized areas for which written permission has been granted.
2. No prisoner / staff identity will be recorded without prior written approval.
3. No content which is defamatory, objectionable, misleading or against security of the Jail will be recorded.
4. Final edited content will be submitted for approval and No Objection Certificate to the Prison Headquarters before publication / broadcast.
5. In case of violation of any rule, permission may be cancelled and legal action may be taken, which I / we agree to accept.

Place: _____

Date: _____

(Signature of Authorized Signatory)

Name: _____

Seal / Stamp: _____